भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायू परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर–मध्य क्षेत्र)
25 सुभाष रोड, देहरादून–248001
दूरभाषः 0135–2650809
फैक्स–0135–2653010
ईमेल - moef.ddn@gov.in

सत्यमेव जयते

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF ENVIRONMENT.FOREST & CLIMATE CHANGE
REGIONAL OFFICE (NORTH CENTRAL ZON))
25 SUBHASH ROAD, DEHRADUN-248001
PHONE- 0135-2650809
FAX- 0135-2653010
Email- moef.ddn@gov.in

पत्र सं0 08बी/यू0सी0पी0/06/54/2017/एफ0सी0/663 दिनांक: 21/07/2020

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव (वन),
उत्तराखण्ड शासन,
सुभाष रोड, देहरादून।

विषय : **Diversion of 25.825 ha (surface forest land-7.977 ha underground forest land-17.848 ha) of forest land for construction of tunnel at Silkyara Band from Km. 24.300 to Km. 51.900 on NH-134 (Dharasu-Yamunotri Road) (Chardham Rajmarg Vikas Pariyojna) in favour of National Highways and Infrastructure Development Corporation Limited within the jurisdiction of Uttarkashi & Upper Yamuna Forest Division in Uttarkashi, District of Uttarakhand. (Online no FP/UK/Road/26823/2017)**

संदर्भः अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, उत्तराखण्ड शासन के पत्रांक 1088/FP/UK-Road/26823/2017) (देहरादून) दिनांक 22.10.2019

महोदय,

उपरोक्त विषय पर अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, उत्तराखण्ड शासन के पत्र दिनांक 13.09.2017 का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित प्रस्ताव पर केन्द्र सरकार से वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा–2 के तहत स्वीकृति मांगी थी।

प्रश्नगत प्रकरण में इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक–23.10.2017 द्वारा प्रस्ताव में सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गयी थी जिसमें उल्लिखित शर्तों की अनुपालन आख्या अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, उत्तराखण्ड शासन के उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा प्रस्तुत कर दी गयी है। राज्य सरकार के प्रस्ताव पर ध्यानपूर्वक विचार करने के उपरान्त केन्द्र सरकार **Diversion of 25.825 ha (surface forest land-7.977 ha underground forest land-17.848 ha) of forest land for construction of tunnel at Silkyara Band from Km. 24.300 to Km. 51.900 on NH-134 (Dharasu-Yamunotri Road) (Chardham Rajmarg Vikas Pariyojna) in favour of National Highways and Infrastructure Development Corporation Limited within the jurisdiction of Uttarkashi & Upper Yamuna Forest Division in Uttarkashi, District of Uttarakhand** हेतु विधिवत् स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करती हैः–

1. वन भूमि की विधिक परिस्थिति अपरिवर्तित रहेगी।
2. परियोजना के लिए आवश्यक गैर–वानिकी भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी।
3. प्रतिपूरक वनीकरण

   (क) वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 7.977 ha surface forest land के सापेक्ष दुगने 16.00 हे0 अवनत वन भूमि (7.00 ha Bibhradi Comptt. No. 7A in Upper Yamuna Forest Division & 9.116 ha Junga in Section Dharasu in Uttarkashi Forest Division) में प्रतिपूरक वनीकरण किया जाएगा। जहां तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल कृषि से बचें।

4. वन अधिकार अधिनियम, 2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलेक्टर द्वारा जारी प्रमाण पत्र से सुनिश्चित किया जाएगा।
5. प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम रखेगा जिनकी सं0 प्रस्ताव के अनुसार 556 (360 वृक्ष यमुना वन प्रभाग एवं 196 वृक्ष उत्तकाशी वन प्रभाग) से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जाएगी।
6. प्रयोक्ता अभिकरण आई.आर.सी मानदंडों के अनुसार सड़क के दोनों किनारों एवं उसके बीचों बीच पौधों की संख्या बढ़ाएगा।
7. सीडब्ल्यूएलडब्ल्यू / एनबीडब्ल्यूएल / एफएसी / आरईसी की सिफारिशों के अनुसार, प्रयोक्ता अभिकरण संरक्षित क्षेत्र/वन क्षेत्र में उपयुक्त अंडर/ओवर पास प्रदान करेगा।
8. संरक्षित क्षेत्रों / वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साइनेज लगाए जाएंगे।
9. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार, यदि आवश्यक हो तो प्रयोक्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करेगा।
10. केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।
11. वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।
12. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जाएगा।
13. संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर सीमांकन किया जाएगा।
14. परियोजना कार्य के निष्पादन हेतु निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा।
15. इस अनुमोदन में प्रत्यावर्तन की अवधि को प्रयोक्ता अभिकरण के पक्ष में मिली लीज की अवधि के साथ अथवा परियोजना की पूर्ण अवधि के साथ, जो भी कम हो, लक्षित किया जाएगा।
16. वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा।
17. केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं की जाएगी।
18. इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाइल संख्या 11–42/2017–FC दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्रवाई होगी।
19. परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलवे का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत मलवा निस्तारण योजना के अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी की देख–रेख में किया जाएगा एवं निर्दिष्ट स्थानों के अलावा अन्यत्र मलवा नहीं फेंका जाएगा।
20. यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्त एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।
21. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्तें लागू होंगी।

भवदीय
21/7/16

(सन्नी गोयल)
तकनीकी अधिकारी (वानिकी)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1. अपर वन महानिदेशक (एफ0सी0), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली।
2. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरा नगर फारेस्ट कालोनी, देहरादून, उत्तराखण्ड।
3. आदेश पत्रावली।

(सन्नी गोयल)
तकनीकी अधिकारी (वानिकी)